रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215883
CG-DL-E-04022020-215883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941
No. 44] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(भारतीय कंपनी सचिव संस्थान)

(कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2020

सं. 710/1(एम)/1.—कंपनी सचिव विनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1, तारीख 6 अगस्त, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 6 अगस्त, 2019 में पृष्ठ सं. 1 से 34 तक में प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गए थे जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 अगस्त, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं पैंतालीस दिन की उक्त अवधि से पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर परिषद् द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, परिषद्, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कंपनी सचिव विनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी सचिव विनियम, 1982 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(झक) किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र या संस्थान द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए नामांकित किसी अभ्यर्थी के संबंध में 'अवचार' से संस्थान के संबंध में या किसी परीक्षा केन्द्र या परिसर में या उसके आसपास विच्छृंखल रीति में व्यवहार करना या अधिनियम, संस्थान के नियम, विनियम, अधिसूचना, शर्त, दिशानिर्देश, निदेश, सलाह, परिपत्र के किसी उपबंध का भंग करना या डाक या मौखिक ट्यूशन के संबंध में कदाचार अपनाना या संस्थान द्वारा संचालित किसी परीक्षा में लिखने के संबध में अनुचित माध्यमों का सहारा लेना या सहारा लेने का प्रयत्न करना या संस्थान के अभिलेख या डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करना या संस्थान के बारे में लोक मंचों, सोशल नेटवर्किंग पर या किसी प्रिंट या इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा ऐसी जानकारी को साझा करना जो कि निन्दात्मक है या ऐसा कोई अन्य कार्य करना अभिप्रेत है जिससे संस्थान की परीक्षा या उसके प्रशिक्षण या किसी नीति की गुप्तता, मर्यादा या पवित्रता को अपहानि, नुकसान, बाधा या चुनौती कारित हो सकती है;

(झख) व्यावहारिक प्रशिक्षण या परिषद् द्वारा यथा-अवधारित कोई अन्य प्रशिक्षण, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी के संबंध में 'अवचार' से संस्थान के संबंध में या ऐसे किसी स्थान में या उसके आसपास जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है, विच्छृंखल रीति में व्यवहार करना या अधिनियम, संस्थान के नियम, विनियम, अधिसूचना, शर्त, दिशानिर्देश, निदेश, सलाह, परिपत्र के किसी उपबंध का भंग करना या संस्थान के अभिलेख या डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करना या संस्थान के बारे में लोक मंचों, सोशल नेटवर्किंग पर या किसी प्रिंट या इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा ऐसी जानकारी को साझा करना जो कि निन्दात्मक है या प्रशिक्षण के संबंध में कदाचार करना या प्रशिक्षण लेने या प्रशिक्षण लेने से छूट की मांग करने के संबंध में अनुचित माध्यमों का सहारा लेना या सहारा लेने का प्रयत्न करना या उस संगठन की, जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है, किसी नीति, नियम या विनियम का भंग करना अभिप्रेत है ।"

3. उक्त विनियमों में, विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**3. सदस्यों का रजिस्टर.-** (1) संस्थान अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में हस्तलिखित या इलैक्ट्रानिक रूप में या किसी ऐसी अन्य रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) सदस्यों के रजिस्टर में पूरा नाम, जन्म की तारीख, अधिवास, वृत्तिक पता, निवासीय पता, सदस्यता संख्यांक, सदस्यता अर्जित करने की तारीख, अर्हताएं, व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्यांक, यदि धारण किए हुए है, ईमेल आई.डी. मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं ।

(3) सदस्य, रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए अपने ब्यौरे के किसी परिवर्तन के बारे में संस्थान को ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर संसूचित करेगा ।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, -

(अ) उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) उसने विघटित कंपनी द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों और या तो पूर्वतर विनियमों में यथा-विहित या कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 में यथा-विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो; या"

(iii) खंड (ङ) में, "के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "में विहित" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(4) यदि यह पाया जाता है कि किसी परीक्षा का परिणाम किसी त्रुटि या उस प्रकृति के किसी अन्य दृष्टांत द्वारा प्रभावित हुआ है तो परीक्षा समिति के पास ऐसे परिणाम में ऐसी रीति में, जो ऐसी समिति द्वारा अवधारित की जाए, सुधार करने और ऐसी घोषणा करने की शक्ति होगी जो वह उस निमित्त आवश्यक समझे।

43. **परीक्षा में छूट का पुनःप्रवर्तन.**– यदि कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा किसी प्रश्नपत्र में प्राप्त छूट को या उसके द्वारा किसी भी विनियम के अधीन इससे पूर्व उत्तीर्ण की गई किसी परीक्षा के किसी समूह या माड्यूल के परिणाम को रद्द करने के लिए आवेदन करता है और रद्दकरण अनुज्ञात कर दिया जाता है तो वह किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में ऐसी छूट का या यथास्थिति, ऐसे समूह या माड्यूल को उत्तीर्ण करने के फायदे का पुनःप्रवर्तन कराने के लिए पात्र नहीं होगा।

14. उक्त विनियमों में, विनियम 44, विनियम 44क, विनियम 44कक, विनियम 44ख, विनियम 45, विनियम 46 और विनियम 46क का लोप किया जाएगा।

15. उक्त विनियमों में, "अध्याय 6क" के पश्चात् निम्नलिखित "अध्याय 6ख" अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अध्याय 6ख

व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाएं

46खक. अध्याय 6ख के उपबंधों का लागू होना.– (1) ऐसा छात्र, जो इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख को अध्याय 6क या अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण ले रहा है, उक्त अध्यायों के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण जारी रख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा :

परन्तु ऐसा छात्र अपने विवेकानुसार, शेष प्रशिक्षण पूरा करने की दृष्टि से इस अध्याय के अधीन प्रशिक्षण में अंतरित हो सकेगा।

(2) ऐसा छात्र, जिसने अध्याय 6क या अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण आरंभ किया था किन्तु बाद में उसे बन्द कर दिया था, इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर शेष प्रशिक्षण अध्याय 6क या अध्याय 7 के अधीन पुनः प्रारंभ करेगा:

परन्तु ऐसा छात्र अपने विवेकानुसार अपने शेष प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए इस अध्याय के अधीन प्रशिक्षण में अंतरित हो सकेगा ।

(3) जहां किसी छात्र ने इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अध्याय 6क के उपबंधों के अनुसार दो वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है वहां वह इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकेगा ।

(4) जहां किसी छात्र ने, कार्यकारी कार्यक्रम या वृत्तिक कार्यक्रम में उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख को ध्यान में लिए बिना, उप-विनियम (3) में विहित अवधि के भीतर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया है वहां वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण लेगा ।

46खख. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाएं.– (1) प्रत्येक छात्र निम्नलिखित प्रशिक्षण ऐसी रीति और पद्धति में, जो संस्थान द्वारा अवधारित की जाए, पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक मास की अवधि के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.);

(ख) कार्यकारी विकास कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात्, पूर्णकालिक आधार पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान,-

(i) ऐसी कंपनी में, जिसमें पूर्णकालिक नियोजन पर एक कंपनी सचिव है या ऐसी किसी अन्य कंपनी में, जो ऐसा मानदंड पूरा करती है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए; या

(ii) पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले ऐसे कंपनी सचिव के अधीन, जो ऐसा मानदंड पूरा करता है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए; या

(iii) ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय या संस्था या संगठन या इकाई में, जो ऐसा मानदंड पूरा करती है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए,

इक्कीस मास के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण ।

(ग) वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, कम से कम तीस दिन के लिए किन्तु अधिकतम साठ दिन के लिए, जैसा संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए, कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम(सी.एल.डी.पी.) ।

46खग. व्यावहारिक प्रशिक्षण और कार्यकारी विकास कार्यक्रम से छूट.– (1) ऐसा छात्र, जो विनियम 46खख में निर्दिष्ट कार्यकारी विकास कार्यक्रम के समतुल्य व्यावहारिक ज्ञान और कौशल तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्जित किए जाने का दावा करता है, संस्थान द्वारा अवधारित मानदंड के अनुसार कार्यकारी विकास कार्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने से छूट के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) संस्थान, आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, पूर्ण या आंशिक छूट या सशर्त छूट प्रदान कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

46खघ. व्यावहारिक प्रशिक्षण का सबूत.– (1) ऐसा छात्र, जिसका आशय सहयुक्त सदस्यता की ईप्सा करना है, संस्थान को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) छात्र, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ संस्थान के समाधानप्रद रूप में ऐसा दस्तावेज़ी सबूत संलग्न करेगा कि उसने अपेक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण ले लिया है या उसे इन विनियमों के अनुसार उससे छूट प्रदान की गई है ।

46खङ. प्रशिक्षण के दौरान, जिसके अंतर्गत कार्यकारी विकास कार्यक्रम और कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी हैं, अवचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई.- ऐसे छात्र द्वारा, जो व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रहा है या कार्यकारी विकास कार्यक्रम या कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम कर रहा है, कोई अवचार या किसी आचार संहिता या किसी विनियम का अतिक्रमण करने की दशा में, परिषद् स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि उसका ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवचार या अतिक्रमण की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है, छात्र कोधिग्दंड दे सकेगी या छात्र के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगी या संस्थान की एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने से निलंबित या वर्जित कर सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि पहले से लिए गए प्रशिक्षण की किसी अवधि की गणना अध्याय 6क, अध्याय 7 और इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी या ऐसे छात्र को संस्थान की सहयुक्त सदस्यता में प्रवेश के लिए अनुपयुक्त घोषित कर सकेगी।"

16. उक्त विनियमों में, "अध्याय 7क" के स्थान पर निम्नलिखित "अध्याय 7क" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अध्याय 7क

विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम और परीक्षाएं

55ख. विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम और परीक्षाएं.– संस्थान ऐसे एक या अधिक विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकेगा, जो वह छात्रों और सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए उपयोगी समझे, व्यावहारिक या सैद्धांतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला सकेगा, ऐसे विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रमों के विषयों के लिए परीक्षा का संचालन कर सकेगा और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्रदान कर सकेगा ।

55ग. विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र दिया जाना.– विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थी को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, जैसा परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, दिया जाएगा और वह ऐसे वर्णन का प्रयोग करने का हकदार होगा, जो परिषद् द्वारा ऐसे डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की बाबत अवधारित किया जाए।

55घ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम.– (1) संस्थान सदस्यों के लिए ऐसी रीति, पद्धति में और ऐसे अंतराल के पश्चात्, जैसा परिषद् अवधारित करे, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और उसके लिए परीक्षा का संचालन करेगा।

Explanation 1.- Fee referred to in this sub-regulation is only for verifying whether the candidate's answers in any particular subject or subjects have been examined and valued and not for revaluation of the answers.

Explanation 2.- For the removal of doubt, it is clarified that re-examination of answers shall not be permitted under any circumstances.

(3) Every candidate passing the Professional Programme Examination shall be granted a certificate to that effect in the appropriate form or in electronic mode by the Secretary on payment of such fees as may be determined by the Council.

(4) In case it is found that the result of an examination has been affected by an error or any other instance of that nature, the Examination Committee shall have power to rectify such result in such manner as may be determined by such Committee and to make such declaration as it may consider necessary in that behalf.

43. **Revival of exemption in examination.**- If a candidate applies for and is allowed cancellation of exemption in any paper obtained by him earlier or of result of any group or module of an examination passed by him earlier under any of the regulations, he shall not be eligible for revival of such exemption or the benefit of having passed such group or modules, as the case may be, in any subsequent examination.

14. In the said regulations, regulations 44, 44A, 44AA, 44B, 45, 46 and 46A shall be omitted.

15. In the said regulations, after "Chapter VIA", the following "Chapter VIB" shall be inserted, namely:-

"Chapter VIB

Practical Experience and Training Requirements

46BA. Applicability of provisions of Chapter VIB.- (1) A student who is undergoing training in accordance with the provisions of Chapter VIA or Chapter VII on the date of commencement of the provisions of this Chapter may continue and complete the training in accordance with the provisions of said Chapters:

Provided that such student at his discretion may switchover to training under this Chapter in order to complete his remaining training.

(2) A student who had commenced training in accordance with the provisions of Chapter VIA or Chapter VII but subsequently discontinued the same shall resume his remaining training under Chapter VIA or Chapter VII within six months from the date of commencement of this Chapter:

Provided that such student at his discretion may switchover to training under this Chapter to complete his remaining training.

(3) Where a student on the date of commencement of the provisions of this Chapter has passed the Executive Programme Examination and is willing to undergo practical training of two years in accordance with the provisions of Chapter VIA, he shall commence the practical training within six months from the date of commencement of the provisions of this Chapter.

(4) Where a student who, irrespective of the date of his registration to Executive Programme or Professional Programme, has not commenced his training within the period prescribed in sub-regulation (3), shall undergo practical training in accordance with the provisions of this Chapter.

46BB. Practical experience and training requirement.- (1) A Student shall complete the following training in such manner and mode as may be determined by the Institute, namely:-

(a) Executive Development Programme (EDP) for one month duration after

passing of Executive Programme examination;

(b) Practical training for twenty one months after completion of Executive Development Programme on whole time basis during normal working hours,-

(i) in a company having a company secretary in whole time employment or any other company fulfilling such criteria as may be determined by the Institute; or

(ii) under a Company Secretary in whole-time practice fulfilling such criteria as may be determined by the Institute; or

(iii) in any other body corporate or institution or organisation or entity fulfilling such criteria as may be determined by the Institute;

(c) After passing the Professional Programme Examination, a Corporate Leadership Development Programme (CLDP) for not less than thirty days but not exceeding sixty days as may be determined by the Institute.

46BC. Exemption from Practical training and Executive Development Programme.- (1) A student who claims to have acquired practical knowledge and skills equivalent to Executive Development Programme and Practical training referred to in regulation 46BB, may make an application for exemption from undergoing Executive Development Programme and practical training in accordance with the criteria determined by the Institute.

(2) The Institute may, after considering the application, grant full or partial exemption or conditional exemption or reject the application.

46BD. Proof of practical training.- (1) A student intending to seek Associate Membership shall make an application to the Institute in such Form as may be determined by the Institute.

(2) Along with the application referred to in sub-regulation (1), the student shall enclose documentary proof to the satisfaction of the Institute that he has undergone the required practical training or has been exempted there from in accordance with these regulations.

46BE. Disciplinary action for misconduct during training including Executive Development Programme and Corporate Leadership Development Programme.- In the event of any misconduct or violation of any code of conduct or any regulation by a student undergoing practical training or Executive Development Programme or Corporate Leadership Development Programme, the Council may *suo-moto* or on receipt of a complaint, if it is satisfied about the existence of misconduct or violation after such investigation as it may deem necessary and after affording an opportunity of being heard, reprimand the student or cancel or suspend his registration as a student or suspend or debar him from appearing in any one or more examinations of the Institute or direct that any period of training already undergone shall not be reckoned for the purpose of Chapter VIA, VII and this Chapter or declare such student as unfit to be admitted to the Associate Membership of the Institute."

16. In the said regulations, for "Chapter VIIA", the following "Chapter VIIA" shall be substituted, namely:-

"Chapter VIIA

Specialised and Advanced Courses and Examinations

55B. Specialised and Advanced Courses and Examinations.- The Institute may conduct one or more such specialised and advanced courses as it may consider useful for the professional development of students and members, impart practical or theoretical course, conduct examination for subjects of such specialised and advanced courses and award certificate or diploma in such manner as may be determined by the Council.

55C. Award of Diploma and Certificate for Specialised and Advanced Course Examination.- A